पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. –9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 325/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 19.10.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 19.10.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

01. थाना- जीयनपुरः 03 लाख की फिरौती मांगने वाले 02 शातिर अपराधी गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 18.10.2024 को आवेदक अब्दुल रहमान पुत्र रूस्तम खान निवासी ग्राम अतरकच्छा बरडीहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ कि आवेदक एक कारोबारी व्यक्ति है आवेदक के गाँव के 1.अब्दुल हई पुत्र इलियास 2.सरफराज उर्फ अशहद पुत्र अब्दुल हई 3. फैसल खान पुत्र अनवर 4. सोएब पुत्र अनवर निवासीगण ग्राम अतरकच्छा बरडीहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ का सम्बन्ध दुर्दान्त अपराधी ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र स्व0 रूद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ से है, उपरोक्त अभियुक्त दुर्दान्त अपराधी ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह के लिए संगठित अपराधो में लिप्त रहते है उपरोक्त अभियुक्तो ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह के लिए अवैध धन वसूली करते प्रार्थी से उपरोक्त अभियुक्तगण अब्दुल हई ,सरफराज उर्फ अशहद फैसल खान और सोएब 300000 रू (तीन लाख रूपये) कि मांग किये और बोले अगर नही दिये तो तुम्हारी हत्या हम लोग करवा देंगे तब प्रार्थी डर और भय के कारण दिनांक 06-10-2024 को समय करीब 5 बजे शाम को गाँव के ही अली सरवर की चक्की के पास सरफराज उर्फ अशहद पुत्र अब्दुल हई को 100000 (एक लाख रूपये) दे दिया फिर इसके बाद उपरोक्त अभियुक्त अब्दुल हई, फैसल खान और सोएब बोले की चुप चाप से बाकी पैसे दे दो वरना तुम्हारे लिए ठीक नही होगा आवेदक डर के मारे दिनांक 18-10-2024 समय करीब 06.30 बजे सुबह अतरकक्षा से बरडीहा जाने वाले रोड पर अतरकक्षा की कब्रस्तान के सामने उपरोक्त अभियुक्तगण अब्दुल हई, फैसल खान और सोएब को बाकी का 200000 (दो लाख रूपये) दे दिया तभी अतरकच्छा के पूर्व प्रधान वसीम खान घटना स्थल पर आ गए तो उसके बाद अभियुक्त घटना से चले गए इसके बाद उपरोक्त अभियुक्तगण प्रार्थी से और पैसे की अवैध मांग करने लगे और बोले की हम लोग ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह के लिए काम करते है उपरोक्त अभियुक्त मुझसे कहे की ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह के साथ जो मुकदमा चल रहा है इसके लिए रूपये की सख्त जरूरत है और रूपयो का प्रबन्ध कर दो नही तो जान गवानी पडेगी प्रार्थी से अभियुक्तगण द्वारा अवैध मांग और रंगदारी मांगने के सम्बन्ध मे प्राप्त हुआ प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 480/2024 धारा 308(5) BNS बनाम 1.अब्दुल हई पुत्र इलियास 2. सरफराज उर्फ अशहद पुत्र अब्दुल हई 3. फैसल खान पुत्र अनवर 4. सोएब पुत्र अनवर निवासीगण ग्राम अतरकक्षा बरडीहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ के पंजीकृत हुयी जिसकी विवेचना उ0नि0 जाफर खान द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के क्रम में।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 19.10.2024 को उ0नि0 जाफर खान मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.अब्दुल हई पुत्र स्व इलियास निवासी ग्राम अतरकच्छा बरडीहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उम्र 59 वर्ष 2. सोएब पुत्र अनवर निवासी अतरकच्छा बरडीहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उम्र 33 वर्ष को बरडीहा मोड के पास से समय 08.45 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1.अब्दुल हई पुत्र स्व इलियास निवासी ग्राम अतरकच्छा बरडीहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उम्र 59 वर्ष

2.सोएब पुत्र अनवर निवासी अतरकच्छा बरडीहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उम्र 33 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0स0 480/2024 धारा 308(5) BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास- (अभियुक्त अब्दुल उपरोक्त)

1.मु0अ0स0 133/1992 धारा 307/504/506 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़

2. मु0अ0स0 136A/1995 धारा 147/148/323/504/506 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़

3.मु0अ0स0203/2007 धारा 147/148/325/323/504भादवि व 3(1) SC/ST ACT थाना जीयनपुर आजमगढ़

4.मु0अ0स0 376/20 धारा 323/504/353/427 भादवि व 3(1)द,3(1)ध,3(2) 5ए SC/ST ACT थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

5. मु0अ0स0378/20 धारा 147/386/506/120बी भादवि जीयनपुर जनपद आजमगढ़

6. मु0अ0स0 361/2020धारा 147/323/325/504भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

7. मु0अ0स0 149/2021धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट जीयनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास (अभियुक्त सोएब उपरोक्त)

1. मु0अ0स0 123/2022 धारा 323/504/506 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 जाफर खान थाना जीयनपुर आजमगढ़
2. का0 धनन्जय राय थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. का0सतीश सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
4. का0सौरभ सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
5. का0दीनदयाल कुशवाहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
6. का0अर्जून कुशवाहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
7. का0मेराज अली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

02.थाना- मेंहनगरः किशोरी का अगवा करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार; घटना में प्रयुक्त एक अर्टिगा वाहन बरामद।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

अवगत कराना है कि दिनांक 12.10.2024 को वादी मुकदमा जनपद आजमगढ थाना मेहनगर आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 11/10/24 को शाम 4 बजे वादी की पोती उम्र लगभग 14 वर्ष घर के बाहर सड़क पर टहल रही थी उसी समय विपक्षी प्रशान्त उर्फ विपुल सिंह पुत्र राजेश सिंह तथा रवि सिंह पुत्र विजय प्रताप सिंह ग्राम मैनीपुर थाना मेंहनगर और आशीष पुत्र चन्दु राजभर एव सूरज राजभर पुत्र गनेश राजभर ग्राम बेनुपुर थाना मेंहनगर के द्वारा हमारी पोती को जबरदस्ती Ertiga गाडी से जबरजस्ती बैठाकर भगा ले गये, के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 420/24 धारा 137(2) BNS बनाम प्रशान्त उर्फ विपुल सिंह पुत्र राजेश सिंह तथा रवि सिंह पुत्र विजय प्रताप सिंह ग्राम मैनीपुर थाना मेंहनगर और आशीष पुत्र चन्दु राजभर एव सूरज राजभर पुत्र गनेश राजभर ग्राम बेनुपुर थाना मेंहनगर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण ....

दिनांक 19.10.2024 को व0उ0नि0 वीरेंद्र यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.प्रशान्त उर्फ विपुल सिंह पुत्र राजेश सिंह सा0 बेनूपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ 2.सूरज राजभर पुत्र गनेश राजभर सा0 बेनूपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ 3.आशीष राजभर पुत्र चन्द्र प्रकाश राजभर सा0 बेनूपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को समय 08.50 बजे शम्भूनगर चौहारा थाना मेंहनगर से मय अर्टिगा कार यूपी 50 BW 9893 के गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1.प्रशान्त उर्फ विपुल सिंह पुत्र राजेश सिंह सा0 बेनूपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

2.सूरज राजभर पुत्र गनेश राजभर सा0 बेनूपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

3.आशीष राजभर पुत्र चन्द्र प्रकाश राजभर सा0 बेनूपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0स0 420/24 धारा 137(2)/127(3)/96/64/61(2) बीएनएस व ¾(2) पाक्सो एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ़

03. थाना दीदारगंज: शादी का झांसा देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व का विवरण-

दिनांक- 24.09.24 को वादी मुकदमा थाना दीदारगंज आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी एक बाल अपचारी द्वारा वादी की नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 246/24 धारा 137(2), बीएनएस बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक- 19.10.24 उ0नि0 अवधेश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित एक बाल अपचारी पुष्पनगर तिराहा के पास से समय करीब 11.15 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

04. राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता (NCSAM) माह अक्टूबर 2024 के तहत #Spazh हेमराज मीना के निर्देशन में #Asp अनन्त चन्द्रशेखर द्वारा तहसील सदर में साइबर ठगी से बचाव व ठगी होने पर उसकी रिपोर्ट 1930 पर दर्ज करने हेतु आम जनमानस को किया गया जागरूक।

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता (NCSAM) माह अक्टूबर 2024 के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के निर्देशानुसार चलाए जा रहे आजमगढ़ पुलिस साइबर सुरक्षा अभियान के अंतर्गत तहसील सदर थाना कोतवाली पर सहायक पुलिस अधीक्षक अनंत चंद्रशेखर सहायक नोडल अधिकारी साइबर क्राइम आजमगढ़ द्वारा साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 तथा वेबसाइट www.cybercrime.gov.in के संबंध में जानकारी दी गई।तहसील दिवस में आने वाले फरियादियों की समस्याओं के निराकरण के अतिरिक्त उन्हें अवगत कराया गया कि तत्काल 1930 नंबर पर धोखाधड़ी की सूचना दिए जाने पर उनके धोखे से हड़पकर लिए गए पैसे बरामद हो सकते हैं, यह अभी अवगत कराया गया कि साइबर फ्रॉड की सूचना साइबर थाना आजमगढ़ मोबाइल नंबर 7839876629 पर भी देकर समस्या का निराकरण कर सकते हैं।

➡तहसील मार्टिनगंज में स्वयं पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ की उपस्थिति में क्षेत्राधिकारी फूलपुर अनिल कुमार वर्मा व प्रभारी निरीक्षक दीदारगंज अखिलेश कुमार द्वारा साइबर जागरूकता का प्रचार-प्रसार किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति. जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 01 आरोपी अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 02 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़: NDPS act में आरोपी अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 02 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

➡ दिनांक- 15.05.2013 को वादी प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया था कि अभियुक्त जिशान कुरैशी पुत्र मुमताज कुरैशी निवासी पुराना थाना (रौजा) कस्बा थाना सरायमीर आजमगढ़ आरोपी अभियुक्त के पास से 03 किलो गांजा बरामद किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 299/2013 धारा 8/20 NDPS act पंजीकृत किया गया था।

➡ उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में कुल 02 गवाह परिक्षित हुए है।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 19.10.2024 को ASJ-03 कोर्ट द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त 01. जिशान कुरैशी पुत्र मुमताज कुरैशी निवासी पुराना थाना (रौजा) कस्बा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को दोषी करार देते हुए 02 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।